



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 1, 2017/वैशाख 11, 1939

No. 178]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 1, 2017/ VAISAKHA 11, 1939

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2017

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) दूसरा संशोधन विनियम, 2017

सं. 11012/260/2015—प्रशा.—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 के साथ पठित, धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 1996 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ.**— (1) ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) दूसरा संशोधन विनियम, 2017 कहलाएंगे ।  
(2) ये भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2017 से संबंधित दिनांक 7 मार्च, 2017 को प्रकाशित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिसूचना सं. 11012/260/2015—प्रशा. का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) दूसरा संशोधन विनियम, 2017 से अधिक्रमण किया जाता है ।
3. मूल विनियमों की अनुसूची में, निम्नलिखित पद के लिए पात्रता के मानदंड और अर्हताएं निर्धारित करने वाली अनुसूचियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :

“मुख्य महाप्रबंधक (यूटिलिटी शिपिंग)”

वीना ईश, सदस्य (प्रशासन)

[विज्ञापन—III/4/असा./43/17]

**पाद टिप्पणी :** मूल विनियमावली, अधिसूचना सं. एनएचएआर-12011/1/95—प्रशा., तारीख 11 मार्च, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 11 मार्च, 1996 में प्रकाशित की गयी थी और इसमें गत संशोधन अधिसूचना सं. 11012/260/2015—प्रशा., तारीख 07.03.2017 द्वारा किया गया था जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 07.03.2017 में प्रकाशित किया गया था ।

## स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस संशोधन की अधिसूचना से पहले कर ली गई अथवा करने से लोप करा दी गई किसी बात पर इस संशोधन के प्रख्यापन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पद का नाम	पद की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
मुख्य महाप्रबंधक (यूटिलिटी शिफ्टिंग)	01 (2017)	समूह - क	वेतन बैंड-4 (37400-67000 रुपए), श्रेणी वेतन 10,000/- रु.	खोज-सह-चयन समिति के माध्यम से चयन

आयु सीमा (केवल प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के मामले में)	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	भर्ती के मानदण्ड
6	7	8
56 वर्ष	<p><b>अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव:-</b></p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इलेक्ट्रीकल इंजीनियरी (ईई) अथवा इलैक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी (ईईई) अथवा इलैक्ट्रानिक्स और कम्प्यूटेशन इंजीनियरी (ईसीई) अथवा इलैक्ट्रानिक्स और इलैक्ट्रिकल कम्प्यूटेशन की उपाधि अथवा समकक्ष उपाधि;</p> <p>और</p> <p>(ii) समूह "क" के रूप में वेतन बैंड-3 (15,600-39,100 रुपए) का वेतनमान और श्रेणी वेतन 5400/- रुपए अथवा समकक्ष स्तर के पद अथवा उच्च पद पर 17 वर्ष की नियमित सेवा जिसमें से सार्वजनिक उपक्रमों/राज्य बिजली कम्पनियों में विद्युत लाइनों को बिछाने, प्रचालन और अनुरक्षण तथा सब स्टेशनों के प्रचालन और अनुरक्षण का 10 वर्ष का संचयी अनुभव।</p>	<p>खोज-सह-चयन समिति के माध्यम से चयन</p> <p>केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा भारत सरकार से संबद्ध मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध-सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा :-</p> <p>(i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड-4 (37,400-67,000 रुपए) के वेतनमान और 10,000/- रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हो;</p> <p><b>अथवा</b></p> <p>(ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन बैंड-4 (37,400-67,000 रुपए) के वेतनमान और 8700/- रुपए के श्रेणी वेतन में अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों;</p> <p>और</p> <p>जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं और अनिवार्य अनुभव रखते हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति की अवधि</b></p> <p>प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्तें कार्य निष्पादन संतोषजनक हो।</p>

**NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st May, 2017

**The National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Second Amendment Regulations, 2017**

**No. 11012/260/2015-Admn.**—In exercise of the powers conferred by Section 35, read with Section 9, of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996, namely:—

- Short title and commencement.**— (1) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Second Amendment Regulations, 2017.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- The National Highways Authority of India Notification No.11012/260/2015-Admn. pertaining to the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2017 published on 7<sup>th</sup> March, 2017 stands superseded by the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Second Amendment Regulations, 2017.
- In the Schedule to the principal regulations, the Schedules prescribing the eligibility criteria and qualifications for the following post shall be inserted, namely:

“Chief General Manager (Utility Shifting)”

VEENA ISH, Member (Administration)

[ADVT.-III/4/Exty./43/17]

**Foot note :** The principal regulations were published vide notification No.NHAR-12011/1/95-Admn., dated 11<sup>th</sup> March, 1996, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11<sup>th</sup> March, 1996 and last amended vide notification No.11012/260/2015-Admn., dated 07.03.2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III Section 4, dated the 07.03.2017.

**Explanatory Memorandum**

**Anything done or omitted to be done prior to notification of this amendment shall not be affected by promulgation of this amendment.**

Name of post	No. of Post	Classification of post	Pay band and grade pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Chief General Manager (Utility Shifting)	01 (2017)	Group-A	PB-4 (Rs.37400-67000) with Grade Pay Rs.10,000/-	<b>Selection through Search-cum-Selection Committee</b>

Age limit (in respect of transfer on deputation only)	Educational qualifications and experience required	Recruitment criteria
6	7	8
56 years	<b>Essential Educational Qualification and Experience:-</b> (i) Degree in Electrical Engineering (EE) or Electrical & Electronics Engineering (EEE) or Electronics and Communication Engineering (ECE) or Electronics & Electrical Communication or equivalent degree from a recognized University/Institute;	<b>Selection through Search-cum-Selection Committee:-</b> By deputation from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions affiliated to Government of India or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:-

	<p style="text-align: center;">and</p> <p>(ii) <b>17 years' service</b> as Group-‘A’ [Pay Scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/-] or equivalent level post or higher on regular basis; out of which cumulative experience of 10 years' in laying, operation and maintenance of electrical lines and sub-stations in PSUs/State Power Utilities.</p>	<p>(i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-4 (Rs.37400-67000) with Grade Pay of Rs.10,000/- (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre/ department;</p> <p style="text-align: center;"><b>or</b></p> <p>(ii) with <b>three</b> years of regular service in the posts in the pay scale of Pay Band-4 (Rs.37,400-67,000) with Grade Pay Rs.8700/- or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre/department;</p> <p style="text-align: center;">and</p> <p>Possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in column 7</p> <p><b><u>Period of deputation</u></b></p> <p>Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport &amp; Highways, subject to satisfactory performance.</p>
--	--	--